सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आार.ए.एस.

1. अपील संख्याः 351/16 **निर्णय दिनांक 11.01.2018**

1. गोमन्दराम पुत्र श्री भागचन्द जाति बिश्नोई निवासी खारिया मलीनाथ तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र मनसुखराम जाति डूडी निवासी बीकानेर हाल चक 1 ए.एम. आर.ए. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकारराज

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 352/16

1. गोमन्दराम पुत्र श्री भागचन्द जाति बिश्नोई निवासी खारिया मलीनाथ तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र मनसुखराम जाति डूडी निवासी बीकानेर हाल चक 1 ए.एम. आर.ए. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकारराज

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत
दिनांक 11–06–2012

उपस्थितः

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण , अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामचन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने दोनों अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के निर्णय दिनांक 11—06—2012 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 का मीड़ियम पेच में आवंटन की गयी है के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णीत किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को इस एक ही कोमन निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है । इस निर्णय की एक एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अपीलांट के नाम से चक 1 ए.एम.आर.ए. के मुरब्बा नम्बर 86/59 के किला नम्बर 22 ता 25 में 4 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 3, 6 ता 8, 14, 15 में 6 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 86/60 में किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 9 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 6, 10 ता 18 में 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 28 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बतौर पुख्ता आवंटन चली आ रही है। जिसकी तमाम किश्तें भी अपीलांट द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई सबूत अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। जब यह तथ्य निर्विवाद था कि वादगत् भूमि चक 1 ए.एम.आर.ए. के मुरब्बा नम्बर 86/59 के किला

नम्बर 22 ता 25 तादादी 4 बीघा व चक 1 ए.एम.आर.ए. के मुरब्बा नम्बर 86/59 के किला नम्बर 3, 6 ता 8, 14, 15 में 6 बीघा भूमि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटन थी तो ऐसी स्थिति में उक्त आराजी आवंटन के लिए उपलब्ध ना होते हुए आक्यूपाईड लैण्ड थी। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन स्मालपेच में किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में पटवारी द्वारा जानबूझकर गलत रिपोर्ट की गई है ताकि आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया जा सके। अदात मातहत द्वारा एक ही भूमि के दो टुकड़े करते हुए रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का आवंटन स्मालपेच के तहत किया गया है। जो आवंटन नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकतरफा पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गयी है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त किया गया। वादगत् भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि शुद्व आराजीराज है व विवादग्रस्त नहीं है। पटवारी द्वारा वादगत् भूमि का नजरी नक्शा बनाया गया है। जिसमें रेस्पोडेन्ट महेन्द्र सिंह व भंवरलाल की वरियता दर्शाई गई है। अपीलांट का यह कथन कि वादगत् भूमि उसे आवंटनशुदा भूमि है। यदि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि है तो मौके पर उसका कब्जा होना चाहिए था। जबकि वादगत् भूमि पर पटवारी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त है ना ही रिकार्ड में कहीं अपीलांट का

नाम अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादगत् भूमि अराजीराज दर्ज होने पर अदालत मातहत द्वारा इस आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य किसी का प्रार्थना पत्र नहीं है ना ही अन्य का कोई हक है। प्रथम वरियता आवेदक अर्थात रेस्पोडेन्ट स्वयं की है। रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि आराजीराज है, विवादित नहीं है, जोड़पायत, अनिवार्य वन पट्टी, आबादी, नर्सरी एवं मण्डी की परिधि में नहीं होने पर राजस्थान उपनिवेशन आवंटन वं विक्रय नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादगत् भूमि से कोई संबंध नहीं है ना ही अपीलांट के वादगत् भूमि पर किसी प्रकार के हक व हकूक पैदा होते है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन वरियता के आधार पर रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि चक 1 ए.एम.आर.ए. के मुरब्बा नम्बर 86/59 के किला नम्बर 3, 6 ता 8, 14 ता 15 तादादी 6 बीघा व चक 1 ए.एम.आर.ए. के मुरब्बा नम्बर 22 ता 24 तादादी 4 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 11—06—2012 को किया गया है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के दो टुकड़ों में किया गया है। जबकि उक्त भूमि पूर्व में ही अपीलांट को बतौर पुख्ता आवंटन थी। जिसकी तमाम किश्तें अपीलांट द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वार इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(4) अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट को स्माल पेच अर्थात दो टुकड़ों में विभक्त करते हुए आवंटित की गई है। रेस्पोडेन्ट का कथन कि उक्त भूमि आवंटन दिनांक को शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज थी तथा अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आराजीराज होने की पुष्टि पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त किया गया है। स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादगत् भूमि का अपीलांट को पूर्व में आवंटन किया जा चुका था। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की गई है। ऐसे पटवारी के विरूद्व राजस्थान सेवा नियमों के तहत कार्यवाही की जानी आवश्यक है। अपीलांट के आवंटन के पश्चात् वादगत् भूमि के आवंटन का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का कर्तव्य राजस्व अमलामाल का है ना की अपीलांट स्वयं का है। प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता/लापरवाही व अपने कार्य को समयावधि में सम्पादित किये जाने के स्थान पर टालमटोल की रणनिति अपनाई जाने के कारण काश्तकारों को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मामलें में भी राजस्व कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता/लापरवाही के कारण अपीलांट को अनावश्क परेशानी का सामना करना पड़ा व न चाहते हुए भी अदालती कार्यवाही से गुजरना पड़ा है।

(5) हमने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11—06—2012 का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में

अभिलिखित किया है कि आवंटी को आवंटन हेतु आवेदित रकबा स्वयं आवेदक के मुरब्बें में ही स्थित है अन्य किसी का प्रार्थना पत्र नहीं है **ना ही अन्य का कोई हक है।** अदालत मातहत का उक्त कथन कि अन्य का कोई हक नहीं है स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादगत् भूमि पूर्व में ही अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि थी। इसप्रकार वादगत् भूमि आक्यूपाईड लैण्ड होने के कारण आवंटन के लिये शुद्व रूप से उपलब्ध नहीं थी। अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा समस्त कार्यवाही बाले—बाले आनन—फानन में व रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा देने के उद्वेश्य मात्र से आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं नजरी नक्शे अनुसार चक 1 ए.एम.आर.ए. के मुरब्बा नम्बर 86/59 के किला नम्बर 3, 6 ता 8, 14 ता 15 व किला नम्बर 22 ता 24 बीघा कमाण्ड भूमि रकबाराज है एवं आवंटन के लिए निर्विवाद उपलब्ध है। जबकि उक्त दिनांक को वादगत् भूमि आवंटन के लिए निर्विवाद रूप से उपलब्ध न होते हुए अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि थी। प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के पूर्व आवंटन की रिपोर्ट नहीं करते हुए प्रकरण में जटिलता पैदा की है। ऐसी स्थिति में संबंधित पटवारी के विरूद्व कार्यवाही हेतु निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर व आयुक्त उपनिवेशन को संबंधित पटवारी के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

(7) अदालत मातहत का उक्त आवंटन आवंटन नियमों के विपरीत व पूर्व में ही आवंटनशुदा होने के कारण आदेश जैर अपील के माध्यम से किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य व एबइनिशियोवाईड आदेश है। चूंकि वादगत् भूमि का अपीलांट को किया गया आवंटन पूर्ववर्ती व रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को

वादगत् भूमि का किया गया पश्चात्वर्ती आवंटन न्यायसंगत, तर्कसंगत व युक्तियुक्त आवंटन की श्रेणी का आवंटन नहीं पाते है। इसलिए अपीलाधीन आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपीलें स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 11—06—2012 निरस्त किये जाते है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर